



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 446 राँची, बुधवार, 11 श्रावण, 1945 (श०)
2 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-342/2014-21762 (HRMS)--श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-733/03, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-977/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 15.05.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) प्रखण्ड चंदवा अन्तर्गत योजना संख्या-12/2005-16 (चंदवा मेन रोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी०सी०सी० पथ निर्माण) का मूल अभिलेख जिस पर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के अंकेक्षण दल द्वारा जाँच की गई है, जो प्रखण्ड कार्यालय से गायब है। इस संबंध में तत्कालीन पंचायत सेवक श्री उमाशंकर सिंह, चंदवा ने लिखित रूप बयान दिया कि उक्त योजना का मूल अभिलेख उनके द्वारा आपको (तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा श्रीमती ज्योत्सना सिंह

को) हस्तगत करा दिया गया था। प्रखण्ड में छाया अभिलेख ही उपलब्ध था, जिस पर वित्त विभाग का अंकेक्षण दल द्वारा जाँच किया गया है।

(ii) SGRY 20% के सहायक रोकड़ पंजी जो दिनांक 20.03.2003 से संधारित है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस योजना में विभिन्न तिथियों को आपके द्वारा भुगतान किया गया। उपर्युक्त सहायक रोकड़पंजी में इस योजना में कुल नगद सीमेंट एवं गेहूँ को मिलाकर 16,03,199.45 (सोलह लाख तीन हजार एक सौ निनानबेँ रु० पैंतालीस पैसा) का भुगतान किया गया है। सहायक रोकड़ पंजी के पृष्ठ संख्या 154, 156 एवं 157 में बाद में लाल स्याही से आपके द्वारा Not Paid अंकित किया गया है। जबकि छाया अभिलेख के आदेश फलक में अभिश्रव में भुगतान प्राप्ति का हस्ताक्षर है। आपके द्वारा यह अंकित किया गया है कि इन सभी का प्रविष्टि दिनांक 31.03.2006 के सहायक रोकड़पंजी के प्राप्ति शीर्ष में कर दी गई है, परन्तु दिनांक 31.03.2006 के सहायक एवं सामान्य पंजी के अवलोकन से यह पाया गया कि आपके द्वारा सहायक रोकड़पंजी में हस्ताक्षर करने के उपरांत नीचे लाल स्याही से कुल 5,30,939.15 (पाँच लाख तीस हजार नौ सौ उनचालीस रु० पन्द्रह पैसे) की प्रविष्टि की गई, परन्तु इसमें जोड़ में कोई अन्तर नहीं किया गया। आपके द्वारा नीचे की गई प्रविष्टि को महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अपनी पेसिल से काट दिया गया है एवं वित्त विभाग के अंकेक्षण दल के द्वारा हरी पेसिल से घेर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण दल ने आपके द्वारा बाद में की गई प्रविष्टि को नहीं माना है। रोकड़पंजी के अनुसार अभिकर्ता को कुल 10,00,000.00 (दस लाख) रु० का भुगतान किया गया जबकि छाया अभिलेख में 2,70,000.00 रु० (दो लाख सत्तर हजार) की प्रविष्टि की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि मूल अभिलेख एवं सहायक/सामान्य रोकड़पंजी में आपके द्वारा छेड़छाड़ की गयी है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6518, दिनांक-25.05.2017 द्वारा श्रीमती सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-35, दिनांक-07.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8482, दिनांक 22.11.2018 एवं पत्रांक-2896, दिनांक 05.04.2019 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती सिंह के पत्रांक-354, दिनांक 24.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्रीमती सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०- 26125(HRMS), दिनांक

15.10.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती सिंह के पत्रांक-74, दिनांक 16.01.2020 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0- 26125(HRMS), दिनांक 15.10.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को विभागीय संकल्प सं0- 5451(HRMS), दिनांक 19.05.2020 द्वारा यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

उक्त के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2022 को पारित आदेश उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप श्रीमती सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA No. 467/2022 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त LPA वाद में दिनांक 29.03.2023 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"Thus the Letters Patent Appeal is allowed. The judgement passed by the learned Single Judge date 09.09.2022 in W.P.(S) No. 2005 of 2020 is hereby, set aside. The writ petition filed by the writ petitioner is allowed. Writ of certiorari is issued quashing the charge-sheet, the enquiry report, the order passed by the appellate and revisional authority as well as the punishment awarded by the disciplinary authority. A writ of mandamus is issued to consider the consequential benefits of the writ petitioner including consideration of her case of promotion with retrospective effect."

अतः LPA No. 467/22 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 26125(HRMS) दिनांक-15.10.2019 द्वारा श्रीमती सिंह को अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड एवं उक्त दण्ड के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-5451(HRMS) दिनांक-19.05.2020 को रद्द किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JYOTSANA SINGH BHR/BAS/3469	श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-733/03, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार के विरुद्ध संकल्प संख्या-26125(HRMS), दिनांक-15.10.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी संकल्प संख्या-5451(HRMS), दिनांक-19.05.2020 को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
